ठेका मजदूरी

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

बहुत से कामों के लिए ठेकेदारों के जरिये मजदूर रखे जाते हैं। ये ठेकेदार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। वे मजदूरों की भलाई की चिन्ता नहीं करते। ठेकेदार मजदूरों को कम मजदूरी देकर उनसे ज्यादा-से-ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। मजदूर बहुत गरीब होते हैं, इसलिये वे कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन मजदूर की नौकरी पक्की नहीं होती है, इसलिए इन्हें किसी तरह की सुरक्षा भी नहीं मिलती। ऐसे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है **''ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970''**

यह कानून कहता है:-

- यदि मालिक ठेकेदार के जरिये मजदूरों को काम पर रखता है, तो मालिक को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना जरूरी है।

- यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से आज्ञा-पत्र या लाइसेंस लेना पड़ेगा।

जो मालिक या ठेकेदार पंजीकृत है या जिसके पास लाइसेंस/आज्ञा-पत्र है, वह मजदूरो की भलाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर मजदूर उनके खिलाफ शिकायत करें तो सरकार उनको सही मजदूरी और सुविधाएँ देने के लिए मजबूर कर सकती है।

वे कौन सी सुविधाएँ हैं जो ठेकेदार को अपने काम करने वालों को देनी चाहिए?

- काम करने वालों के छः साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार को कम-से-कम दो कमरे अवश्य देने चाहिए। एक कमरा खेलने के लिए और दूसरा सोने के लिए। ठेकेदार को बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सुविधाएँ देनी होंगी।

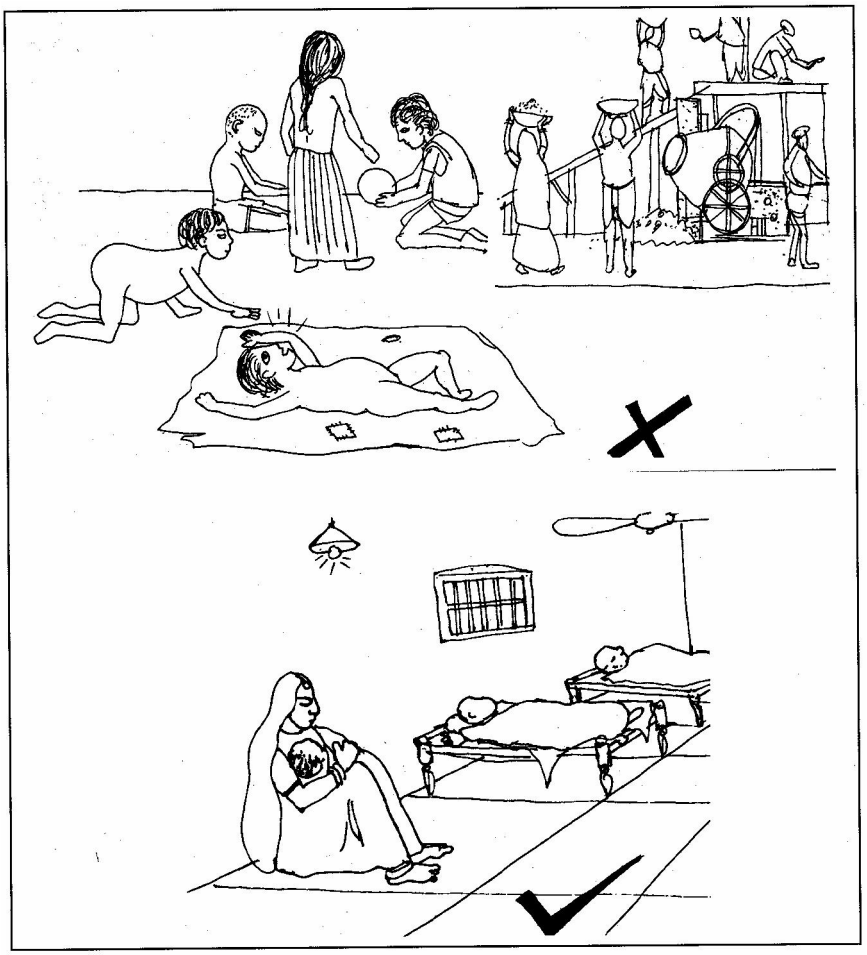

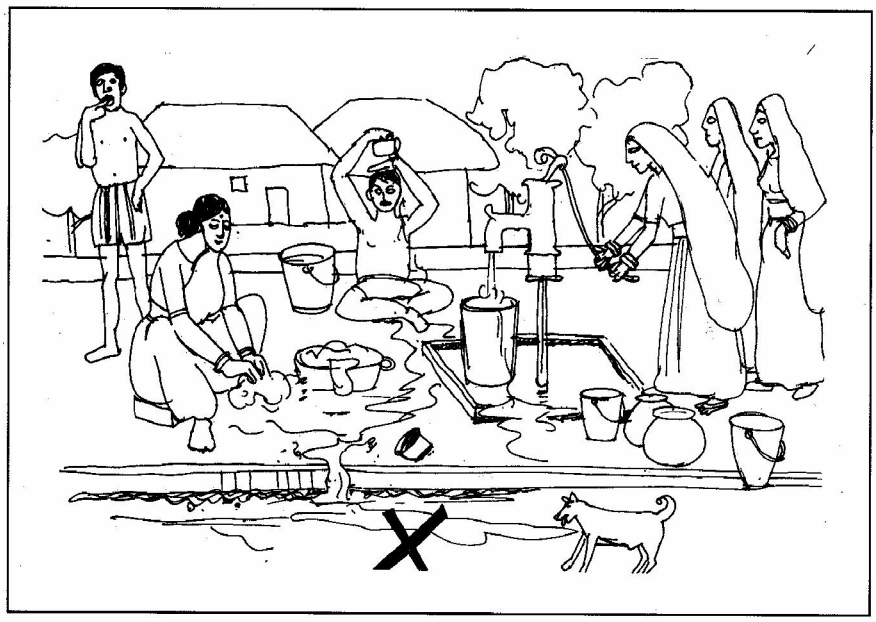

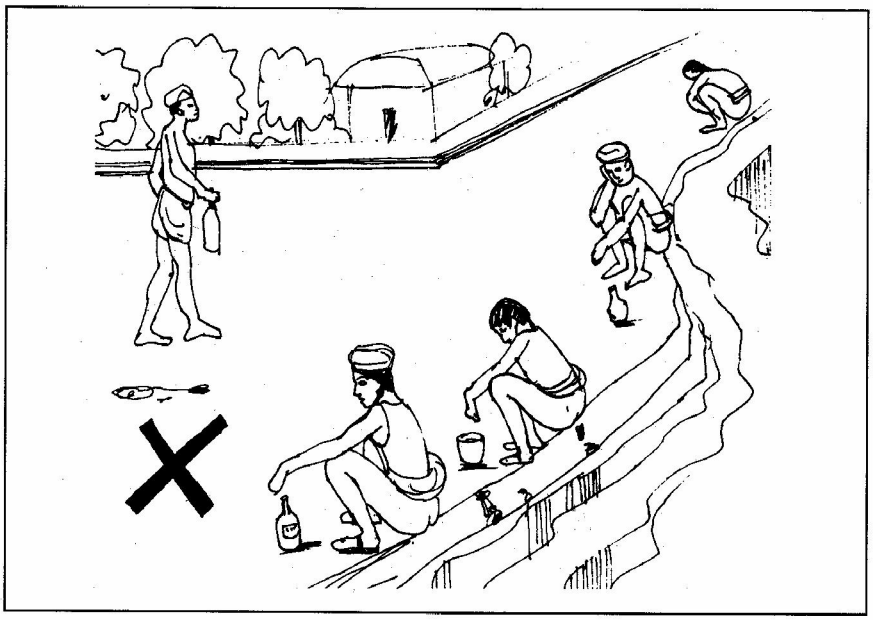

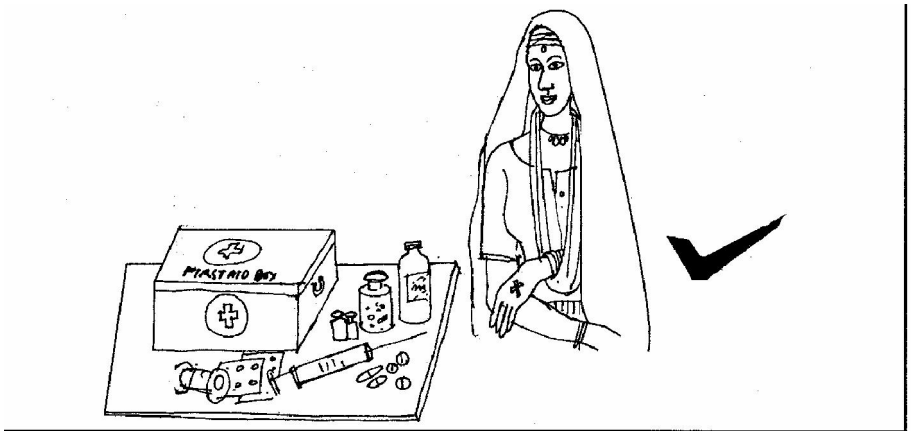

- मजदूरों के लिए पीने का पानी, सफाई सुविधाएँ, पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएँ ठेकेदार को देनी चाहिएँ। काम शुरू होने के सात दिन के अन्दर इनका इंतजाम होना चाहिए।

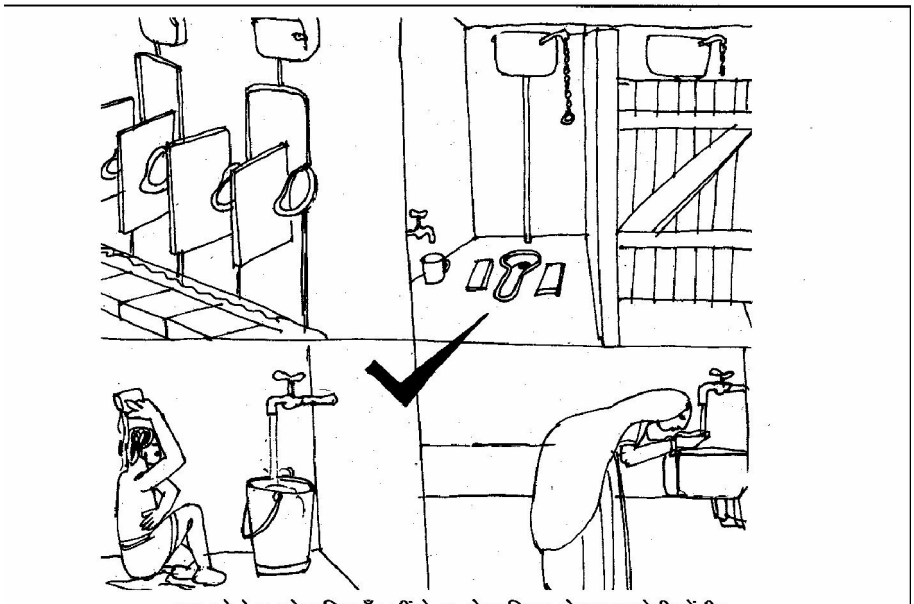

अगर ठेकेदार ये सुविधाएँ नहीं देता, तो मालिक को अवश्य देनी होंगी।

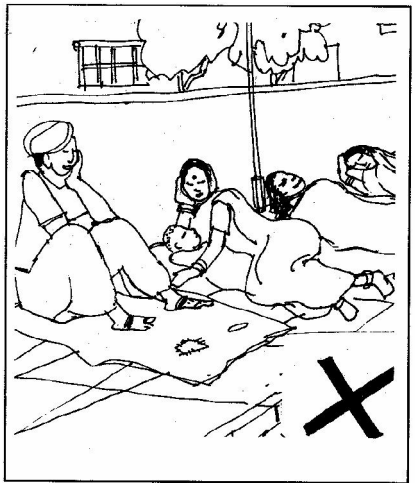

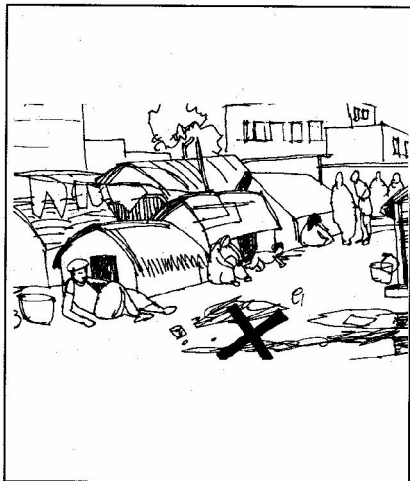

- अगर काम कम-से-कम तीन महीने तक चलेगा और मजदूरों को रात को भी काम के स्थान पर रहना पड़े, तो ठेकदार को आराम के लिए कमरे या दूसरे रहने के स्थान का प्रबन्ध करना होगा। यह प्रबन्ध काम शुरू होने के 15 दिन के अन्दर होना चाहिए। अगर ठेकेदार यह सुविधा नहीं देता, तो मालिक को अवश्य देनी होगी।

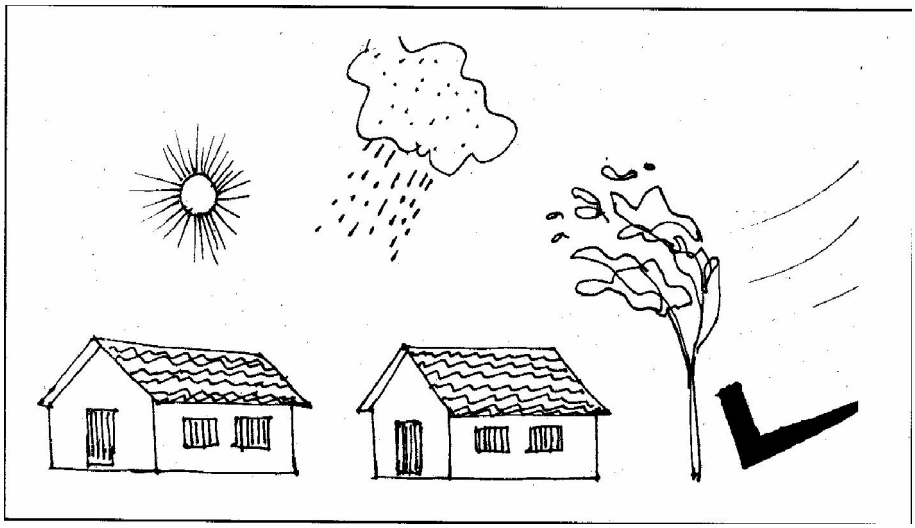

- कमरे ऐसे होने चाहिए जो आपको गर्मी, तेज हवा और बरसात के सुरक्षा प्रदान करें। कमरे का फर्श चिकना और अच्छा होनो चाहिये। कमरे में पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। विश्राम का कमरा आपके कार्य स्थल के नजदीक होना चाहिये।

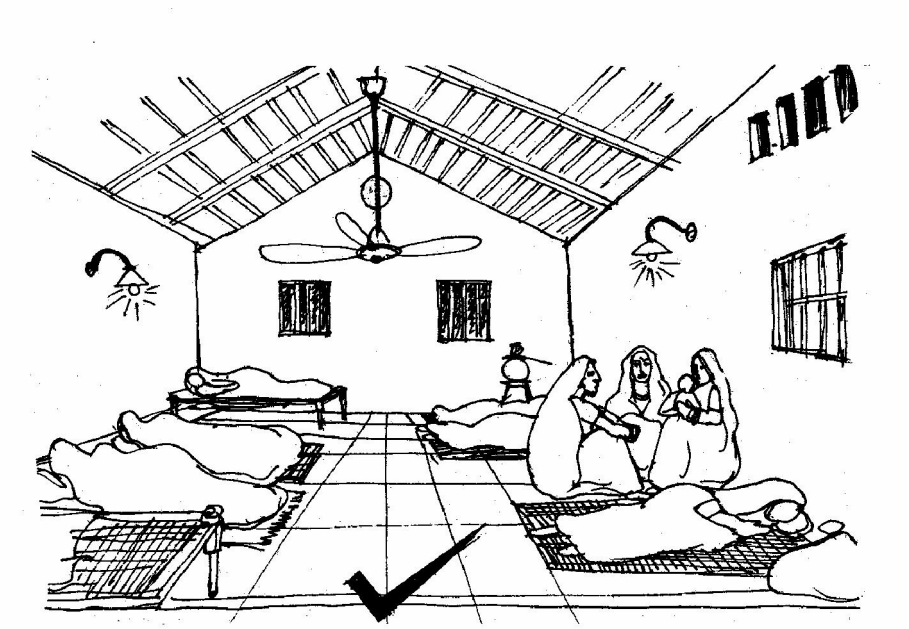

- स्त्रियों के लिए अलग कमरों का प्रबन्ध करना होगा। कमरों में अच्छी हवा और प्रकाश होना चाहिए।

- अगर काम छः महीने तक चल सकता है और 100 या इससे अधिक काम करने वाले वहां काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार को एक कैन्टीन यानि भोजनालय का प्रबन्ध करना होगा। यह कैन्टीन कमाई के लिए नहीं चलाई जानी चाहिए। यानि, इसमें उचित दर पर खाने-पीने का सामान मिलना चाहिये। यह कैन्टीन काम शुरू होने के 60 दिन के अन्दर बन जानी चाहिये। कैन्टीन में खाने के लिए बड़ा कमरा, रसोई, भण्डार घर और धोने की जगह अवश्य होनी चाहिए। इसमें उचित प्रकाश का प्रबन्ध होना चाहिए और फर्श साफ सुथरा व अच्छा होना

चाहिये। कैन्टीन में सफाई होनी चाहिये। नालियाँ ढकी हों और कूडे-करकट को इकट्ठा करने तथा फेंकने का ठीक प्रबन्ध होना चाहिए। खाने के कमरे का एक हिस्सा स्त्रियों के लिए होना चाहिये। धोने के लिए उनके लिये अलग स्थान होना चाहिए। कैन्टीन को चलाने के लिए पर्याप्त बर्तन, कुर्सी-मेज आदि होने चाहिए। कैन्टीन में काम करने वालों को साफ कपड़े पहनने चाहिए।

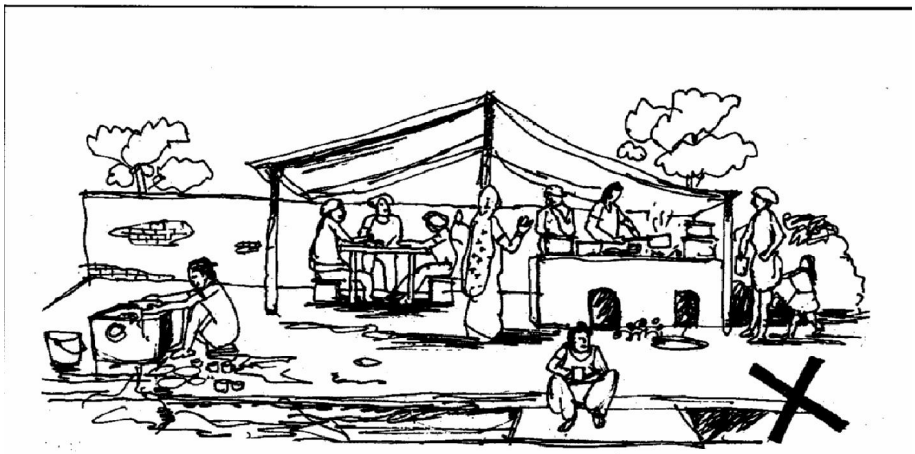

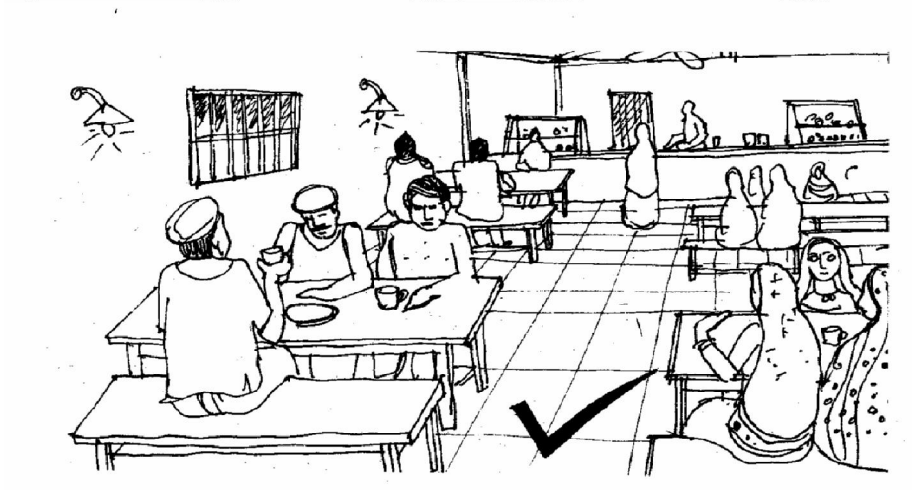

अगर ठेकेदार इन सब चीजों का प्रबन्ध नहीं करता, तो मालिक को इसका प्रबन्ध करना होगा।

मजदूरी

- मजदूरी देने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की हैं
- महीने में कम-से-कम एक बार मजदूरी मिलनी चाहिये।
- मजदूरी नकद और बिना किसी कटौती के मिलनी चाहिए।
- मजदूरी मालिक के किसी प्रतिनिधि के सामने दी जानी चाहिए।

अगर तुम्हारा ठेकेदार तुम्हे मजदूरी न दे तो तुम अपने मालिक से मजदूरी माँग सकते हो।

- मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती। 'न्यूनतम मजदूरी' यानि सरकार द्वारा तय दर (रेट)। हाँ, उससे अधिक जरूर हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि मालिक ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी दे देता है। ठेकेदार उसमें से अपनी कमीशन काट लेता है, फिर मजदूरी देता है। इस तरह से काम करने वाले को जो वास्तव में मजदूरी मिलती है, वह न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। यह गलत है।
- ठेकेदार को कमीशन देना तुम्हारे मालिक की जिम्मेदारी है। उसे ठेकेदार को मजदूरी से अधिक देना चाहिये ताकि तुम्हें पूरी मजदूरी मिल सके। तुम्हें पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये। उसमें से ठेकेदार कमीशन नहीं काट सकता।
- मालिक ठेके के मजदूरों से केवल उतने घण्टे काम करवा सकता है, जितने घण्टे उसके अपने कर्मचारी उसी तरह का काम करते हैं। स्थाई कर्मचारियों की तरह ही तुम भी छुट्टियों के हकदार हो।

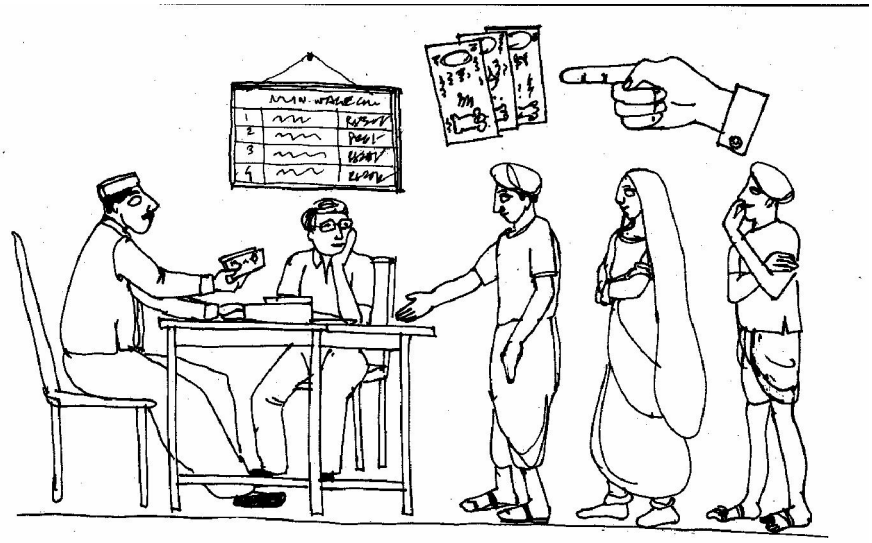

यदि अन्य कामों में तुम्हारे जैसा काम स्थाई कर्मचारी करते हैं, और तुम्हारा मालिक तुम्हें पूरे समय का काम दे सकता है, तो तुम्हें स्थाई या 'रेगुलर' काम पर रखा जा सकता है।

यदि ठेकेदार इस कानून क अनुसार मजदूरी और सुविधाएँ नही देता है तो सब को मिलकर लेबर अफसर या लेबर इन्स्पेक्टर के पास रपट लिखवाकर अपना हक लेना चाहिये।

अन्तर-राज्यिक प्रवासी मजदूर कानून

सुमिता समाज कल्याण का काम करती है। वह ऐसे असंगठित मजदूरों की मदद करती है, जो बहुत की खराब हालातों में बहुत कम मजदूरी के लिये मेहनत करते हैं। उसने कई ऐसे लोगों की मदद की है जो काम के लिये दूसरे प्रदेशों को जाते हैं। इस बार जब सुमिता बिहार में अपने घर गयी तो वह खेतों में काम करने वाली कुछ महिलाओं से मिली। रामप्यारी और कमला जैसी भूमिहीन महिला मजदूर अपना गुजारा चलाने के लिए खेतों में भी काम किया करती थीं। उन्होंने सुमिता को अपनी परेशानी बताई और उससे सलाह माँगी।

रामप्यारी ने कहाः सुमिता बहन, आजकल बड़ा कठिन समय है। हमें तो गांव में छोटा-मोटा काम ढूँढना भी मुश्किल हो जाता है। आसपास के गाँवों में भी काम कम है और काम करने वाले ज्यादा। इसीलिये पूरे साल में मुशिकल से थोड़ा बहुत काम मिलता हैं। हम तो बस भाग्य से सहारे जी रहे हैं। लड़की भी शादी के लायक हो गयी है पर शादी का खर्च उठाने के लिए पैसा नहीं है। आप ही बताईये अब हम क्या करें?

सुमिता ने मज़दूरों को दूसरे राज्यों में काम लेने की सलाह दी।

सुमिता बोलीः तुम लोग हरियाणा क्यों नहीं चले जाते? आजकल तो फसल का समय है और वहाँ तुम जैसे अच्छा काम करने वालों के लिये बहुत काम है। तुम्हें अपने पति, बेटे और बेटी के साथ वहाँ चले जाना चाहिये। कम से कम फसल के वक्त तो तुम्हें बहुत काम मिल जाएगा।

रामप्यारी बोलीः सुमिता बहन, न तो मैं और न ही मेरा पति कभी बिहार के बाहर गये हैं। हमें तो यहाँ की बोली छोड़कर कोई भाषा भी नहीं आती है। भाषा जाने बिना हम लोग काम कैसे कर पायेंगे? परदेस में तो हम असहाय हो जायेंगे।

सुमिता ने कहाः चिन्ता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों को जाते हैं। ऐसे लोगों को 'प्रवासी मजदूर' कहते हैं। उन्हें भी वहाँ की भाषा नहीं आती, पर उससे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे ''**अन्तर-राज्यिक प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979**'' कहते हैं।

प्रवासी मज़दूरों के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है।

कमला बोलीः हाँ, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, जो फसल के समय काम के लिये हरियाणा जाते हैं। वहाँ का एक ठेकेदार कुलदीप सिंह हर साल फसल से पहले हमारे जिलें में आकर बहुत से लोगों को भर्ती करके ले जाता है। आजकल भी वह आया हुआ है और गांवों में लोगों को भर्ती कर रहा है। लोग कहते हैं कुलदीप सिंह हरियाणा के बड़े-बड़े किसानों को मजदूर भेजता है। क्या हमें उससे मिलना चाहिये?

सुमिता ने कहाः हाँ-हाँ, तुम्हें और तुम्हारे पति को कुलदी सिंह से मिलना चाहिये, पर हरियाणा जाने की मंजूरी देने से पहले तुम्हे यह तसल्ली कर लेनी चाहिये कि कुलदीप सिंह असली ठेकेदार है।

रामप्यारी बोलीः हमें कैसे पता चलेगा कि वह असली ठेकेदार है या नहीं?

बहुत से मज़दूर दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं।

सुमिता ने समझायाः जो भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से 5 या उससे ज्यादा मजदूरों को भर्ती करता है उसके पास उस प्रदेश की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस यानि आज्ञा पत्र होना चाहिये। इसलिये अगर कुलदीप सिंह 5 या अधिक मजदूरों को हरियाणा ले जाने के लिये भर्ती करता है तो उसके पास हरियाणा सरकार का दिया हुआ मान्य लाइसेन्स होना चाहिये। उस लाइसेन्स पर उसकी वैधता की तारीख और मजदूरों की भर्ती की संख्या लिखी होनी चाहिये।

कमला बोलीः अच्छा! तो ठेकेदार के पास लाईसेंस होना चाहिये। क्या हमारे पास भी कुछ कागज होने चाहिये?

सुमिता ने कहाः हाँ। अगर कुलदीप सिंह तुम्हें भर्ती करता है तो उसे तुम्हें एक 'पासबुक' देनी होगी जिसमें ये बातें होनी चाहियेः-

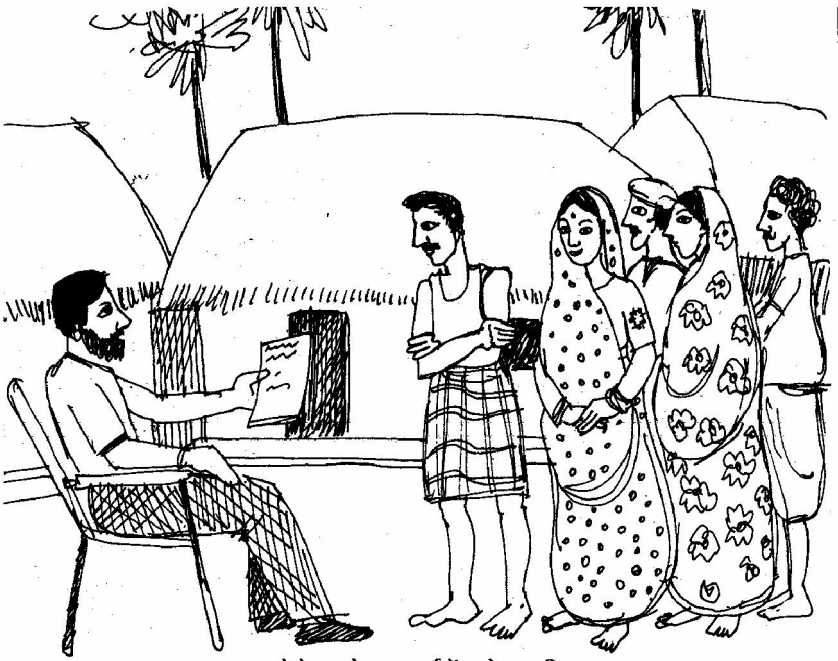

ठेकेदार के पास लाईसेंस होना चाहिए।

- तुम्हारा फोटो
- तुम्हारा नाम
- काम की जगह
- कब तक काम होगा उसकी तारीख

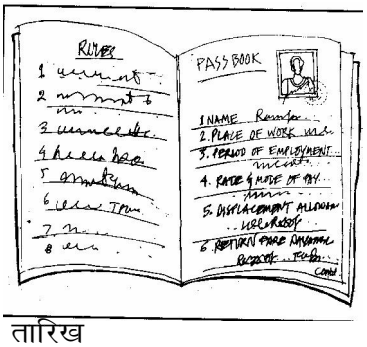

- मजदूरी की दर और मजदूरी देने की तारिख
- विस्थापन भता
- वापसी किराये की दर
- कटौती (यदि की गयी हो) और अग्रिमराशि/'एडवान्स' (लिया हो तो)
- भर्ती की तारीख और काम चालू होने की तारीख
- हाजरी और क्या काम किया उसकी जानकारी (यह काम शुरू होने के बाद लिखी जायेगी
- नजदीकी रिश्तेदार का नाम और पता

रामप्यारी ने कहाः यह विस्थापन भता क्या होता है?

सुमिता ने कहाः तुम्हें अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम के लिये ले जाने के लिये कुछ पैसे दिये जाएँगे। यह विस्थापन भता कहलाता है। यह भता 75/- रूपये या एक महीने की मजदूरी का आधा-दोनों में से जो ज्यादा हो-उतना पैसा दिया जाना चाहिए।

कमला ने पूछाः आने-जाने का किराया कौन देगा?

सुमिता ने बतायाः यहाँ से दूसरे प्रदेश जाने और अपने प्रदेश वापिस आने का दोनों ओर का किराया ठेकेदार यानि कुलदीप सिंह को देना होगा।

कमला ने पूछाः मान लो हमारे वहाँ जाने के कुछ समय बाद वह हमें काम से हटा देता है, तो क्या हमें उसके पैसे वापिस करने पड़ेंगे?

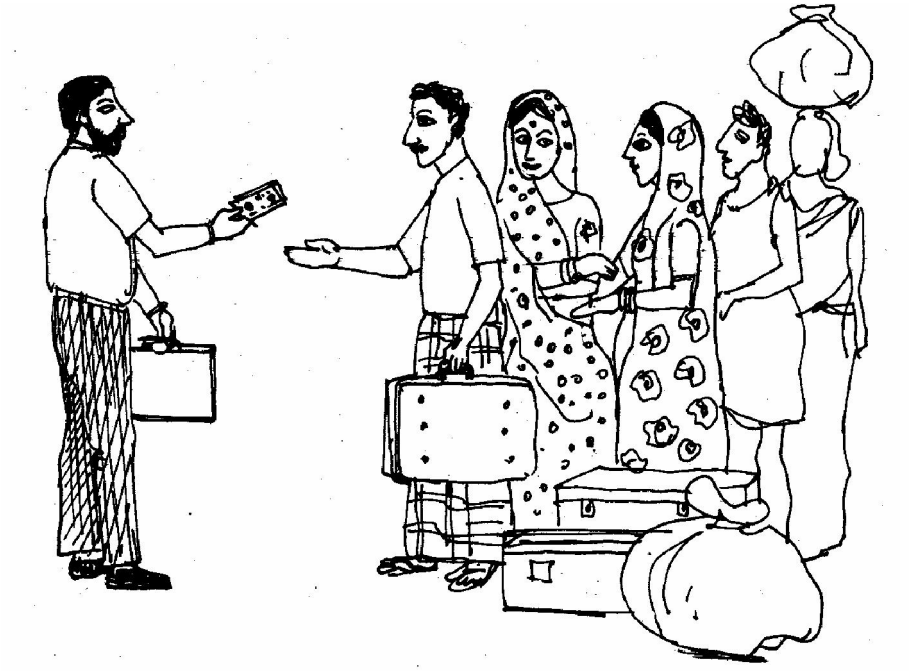

ठेकेदार को आने-जाने का किराया देना होगा।

सुमिता ने बतायाः नहीं, अगर वह बताये हुए समय से पहले ही काम से तुम्हारी छुट्टी कर देता है तो भी विस्थापन भता और वापसी के टिकट के पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे।

रामप्यारी ने पूछाः पासबुक में हमारी नजदीकी रिश्तेदार का नाम और पता क्यों लिखवाया जाता है?

सुमिता ने बतायाः काम करते वक्त कई बार गंभीर दुर्घटना भी घट जाती है। उससे कभी ज्यादा चोट आ सकती है या जान भी जा सकती है। ऐसी हालत में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह तुरन्त ही कामगार के नजदीकी रिश्तेदार और सरकार को दुर्घटना की सारी जानकारी तार द्वारा भेजे। मौत हो जाने पर नजदीकी रिश्तेदार को कानून के मुताबिक मुआवजे की रकम दी जाएगी।

कमला ने जानना चाहाः कुलदीप सिंह को तो हम कई सालों से जानते हैं क्योंकि वह इधर आता रहता है, परन्तु जिस आदमी के खेतों में हमें काम करना होगा उसे तो हम नहीं जानते। तब उसका भरोसा कैसे किया जाये कि वह हमें पूरी मजदूरी देगा और समय से देगा?

सुमिता ने बतायाः तुम्हें मजदूरी देने की जिम्मेदारी सबसे पहले ठेकेदार की है। अगर वह नहीं देता है तो तुम जिसका काम कर रहे हो उससे मजदूरी माँग सकते हो।

रामप्यारी ने पूछाः हरियाणा में हमें कितनी मजदूरी मिलेगी?

सुमिता ने बतायाः उस प्रदेश में इस तरह के काम की जितनी न्यूनतम (कम से कम) मजदूरी सरकार ने तय की हो वह तुम्हें मिलेगी। तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को एक समान काम के लिये एक समान मजदूरी मिलेगी।

वेतन मालिक के किसी प्रतिनिधि के सामने देना होगा।

रामप्यारी ने पूछाः यहाँ बिहार में काम करवाने वाले कई बार अनेक कारण बताकर हमारी मजदूरी में से पैसा काट लेते हैं। कर्ज देने के बहाने पैसे काट कर यूँ ही काम करवाते हैं। क्या हरियाणा में भी हमारी मजदूरी में से पैसा काटा जायेगा?

आदमी और औरत को समान मजदूरी मिलनी चाहिए।

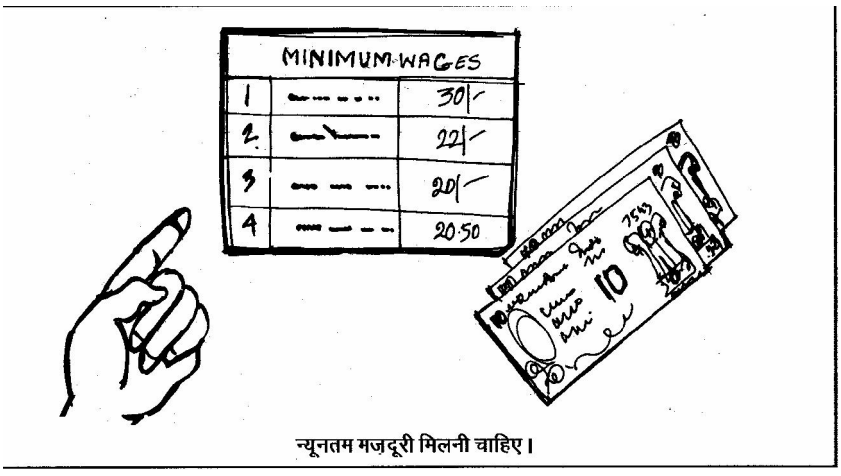

न्यूनतम मज़दूरी मिलनी चाहिए।

सुमिता ने बतायाः नहीं ! यह सब गलत है। तुम्हें तुम्हारी मजदूरी नकदी में दी जानी चाहिये। तम्हें महीने में कम से कम एक बार मजदूरी मिलनी चाहिये। अगर ठेकेदार मजदूरी दे रहा है तो जिसका काम करते हो वह खुद या उसका कोई आदमी पैसे देते समय वहाँ होना चाहिये। साथ ही मालिक को यह लिखकर भी देना होगा कि उसके सामने मजदूरी दी गयी है। ठेकेदार मजदूरी देकर कोई पैसे वापस नहीं ले सकता है। सिर्फ सरकार की तय की हुई कटौतियाँ हो सकती हैं। ठेकेदार पिछले सालों में दी गयी अग्रिम राशि (एडवान्स) के भी कोई पैसे नहीं काट सकता है।

रामप्यारी ने पूछाः सुमिता बहन, हरियाणा तो यहाँ से बहुत दूर है और जाने में 2-3 दिन लग जायेंगे। क्या उतने दिनों की मजदूरी का हमारा नुकसान होगा?

सुमिता ने कहाः नहीं, ठेकेदार को तुम्हारे गाँव से निकलने वाले दिन से लेकर काम शुरू होने वाले दिन तक की मजदूरी देनी होगी।

रामप्यारी ने पूछाः हमने सुना है जाड़े के दिनों में हरियाणा में बहुत ठण्ड होती है। हमारे पास तो ठण्ड से बचने के लिये गरम कपड़े हैं नहीं, यहाँ बिहार में ही हमें जाड़े में परेशान हो जाती है। फिर हम हरियाणा में काम कैसे कर पायेंगे?

ठंड के दिनों में गर्म कपड़े मिलने चाहिए।

सुमिता ने बतायाः हाँ, हरियाणा में यहाँ की तुलना में काफी ठण्ड होती है। कहीं-कहीं तो तापमान शून्य डिग्री (बर्फ जमने का तापमान) से 5 डिग्री कम हो जाता है। जब ठण्ड होती है तो ठेकेदार को तुम्हें गरम कपड़े देने होंगे। ज़्यादा ठण्डी जगह पर तीन साल में एक बार लम्बा कोट (ओवरकोट) देना होगा।

रामप्यारी ने पूछाः यहाँ बिहार में तो हमारा छोटा सा घर और गृहस्थी को थोड़ा सामान भी है जिसके सहारे हम जी लेते हैं। पर अगर हम हरियाणा जायेंगे तो वहाँ हम रहेंगे कहाँ? हमारा गुजारा कैसे चलेगा?

सुमिता ने कहाः ठेकेदार की ओर से तुम्हें कुछ सुविधाएँ जरूर मिलनी चाहियें जैसेः

- मकान की सुविधा

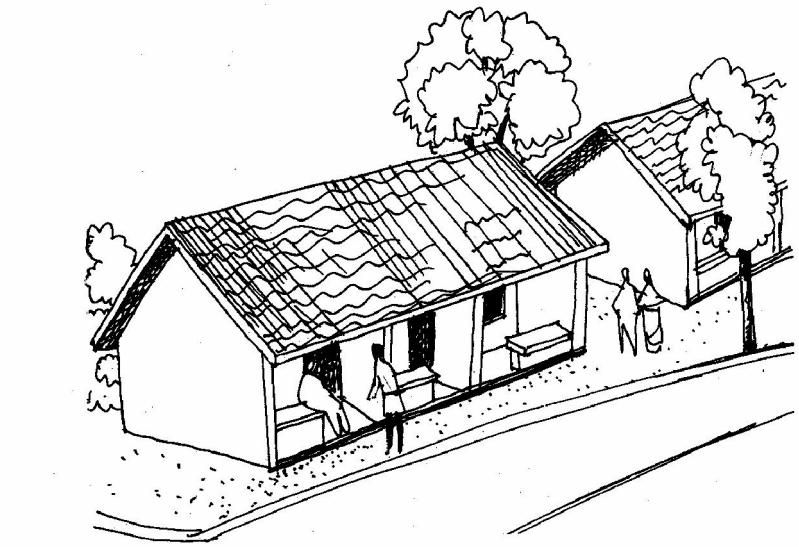

ठेकेदार को रहने की जगह देनी होगी।

- डॉक्टरी देखभाल की सुविधा
- अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े तो अस्पताल का, वहाँ खाने-पीने और आने-जाने का खर्च
- उपयुक्त मात्रा में पीने का पानी, कपड़े धोने की सुविधा, शौच आदि के लिये पुरूषों और स्त्रियों के लिये अलग-अलग जगह
- आराम करने की जगह और बिना नुकसान-फायदे पर खाने-पीने के सामान की कैन्टीन की सुविधा
- अगर 20 से ज्यादा औरतें वहाँ तीन महीने से ज्यादा समय के लिये काम करती हैं तो उनके बच्चों के लिये बालवाड़ी की सुविधा।

रामप्यारी ने पूछाः हम जिसके यहाँ काम करेंगे वह हमें ये सारी सुविधाएँ हमारी मजदूरी देगा इसकी क्या गारन्टी है?

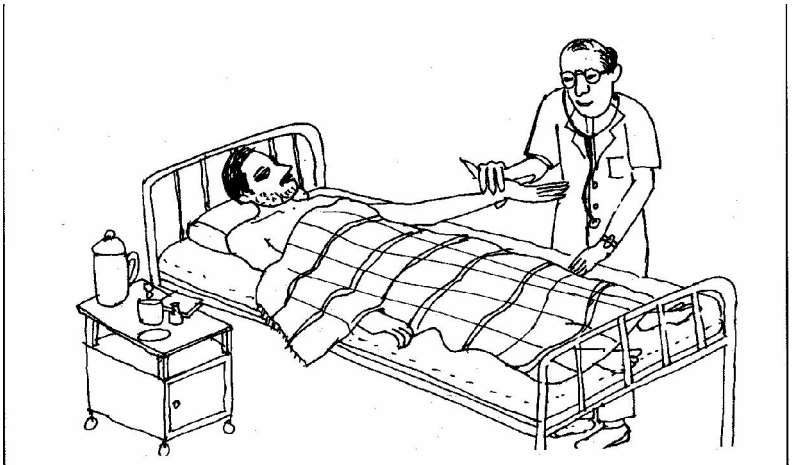

अस्पताल का खर्च ठेकेदार को देना होगा।

सुमिता ने बतायाः जो भी व्यक्ति या संस्था दूसरे प्रदेश से आने वाले 5 या अधिक मजदूरों से काम लेती है उसे सरकार के पास अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना पड़ता है। ठेकेदार को एक लाइसेंस लेना पड़ता है। यह पंजीकरण या लाइसेंस देते समय उन्हें सरकार को आश्वासन देना पड़ता है कि वे इस कानून का पूरा पालन करेंगे। ठेकेदार या मालिकों को कानून के मुताबिक सारी सुविधाएँ तुम्हें देनी पड़ेंगी। नही ंतो उनका लाईसेंस रद्द कर दिया जा सकता है।

कमला ने कहाः लेकिन दीदी, हमें क्या मालूम कौन पंजीकरण करता है? और हम अपनी शिकायत कहाँ करेंगे?

सुमिता ने बतायाः काम की जगहों पर सरकार की तरफ से लेबर इन्सपेक्टर और लेबर अफसर भेजे जाते हैं जो यह देखते हैं कि कानून के अनुसार मजदूरों को सुविधाएँ दी जा रही हैं या नहीं। अपनी शिकायतें उन्हें बतानी चाहिये।

लेबर अफसर को अपनी समस्याएँ बताइये।

रामप्यारी ने अपनी शंका बताईः हरियाणा के ठेकेदार और काम करवाने वाले वहां के ''लेबर अफसर'' को अच्छी तरह जानते होंगे। अगर ये ठेकेदार कानून तोड़ेंगे तो भी उनके विरूद्ध शायद कोई कार्यवाही नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे?

सुमिता ने समझायाः वहाँ के अफसरों के अलावा तुम्हारे अपने प्रदेश के अफसर भी तुम्हारे काम की जगह और तुम्हें मिलने वाली सुविधाओं की जाँच करने आ सकते हैं। इसीलिये ठेकेदार द्वारा तुम्हारे प्रदेश की सरकार को वहाँ के मजदूरों की जानकारी देनी आवश्यक होती है। उसे यह भी बताना जरूरी है कि ये मजदूर हरियाणा या दूसरे प्रदेश जाकर कहाँ और किसके लिये काम करेंगे। फिर भी हरियाणा जाने से पहले तुम्हें अपने जिले के संबंधित अधिकारी को यह जानकारी दे देनी चाहिये कि तुम किस ठेकेदार की, किस जगह (पूरा पता) क्या काम करने जा रहे हो। इससे बिहार के अधिकारी तुम्हें मिलने वाली सुविधाओं की जाँच कर पायेंगे।

रामप्यारी ने पूछाः अगर कुलदीप सिंह के पास हमारे लिये ज्यादा काम न हो तो वह हमें वापिस जाने को कहे तो क्या हम हरियाणा में ही कोई दूसरा काम ढूँढ सकते हैं?

सुमिता ने बतायाः हाँ, मगर एक बार तुमने अपने ठेकेदार का काम छोड़ दिया तो फिर वह 'प्रवासी मजदूर कानून' तुम्हारे लिये लागू नहीं होगा। तुम अपने नये मालिक पर इस कानून में बतायी गयी सुविधाएँ देने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हो। हाँ, तुम न्यूनतम मजदूरी और दुर्घटना होने पर दिये जाने वाले मुआवजे और दूसरे मजदूर कानूनों के फायदों के हकदार फिर भी रहोगे। परन्तु मकान वगैरह की जो सुविधाएँ 'प्रवासी मजदूर कानून' के तहत मिलती हैं वह तुम्हें नहीं मिलेंगी

क्योंकि उनके हकदार तुम तब ही होगे जब तुम्हें दूसरे प्रदेश से काम के लिये भर्ती किया गया हो।

कमला ने कहाः यह तो ठीक है पर अक्सर देखा जाता है कि मालिक और ठेकेदार कानूनों का पालन नहीं करते हैं और हम उस बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं।

सुमिता ने कहाः कानून का फायदा लेना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम एकजुट होकर अपने अधिकारो के लिये लड़ोगे तो कानून जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। अगर ठेकेदार और मालिक कानून का पालन नहीं करते हैं तो तुम्हें उनकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिये। कानून उन पर जुर्माना लगायेगा और उन्हें जेल भी हो सकती है।

कमला ने कहाः शिकायत की कार्यवाही की आगे बढ़ाने के लिये तो हमें हरियाणा में रहना होगा और हम वहाँ ज्यादा समय तो नहीं रह सकते हैं। हम शिकायत तब ही कर पायेंगे जब नौकरी छोड़ देंगे। अगर उसके पहले हमने शिकायत की तो मालिक हमें परेशान करेगा। और शायद नौकरी से भी निकाल देगा। हमें तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती है। हम कानून की मदद कैसे ले पायेंगे।

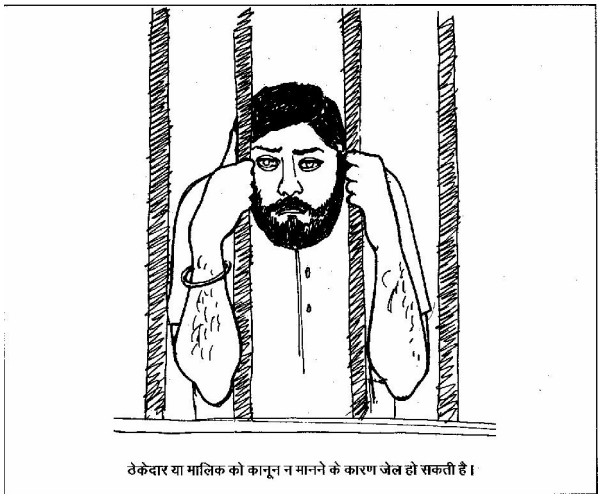

ठेकेदार या मालिक को कानून न मानने के कारण जेल हो सकती है।

सुमिता ने कहाः इसलिये कानून ने यह सुविधा दी है कि तुम अपने गांव वापिस आकर भी शिकायत कर सकते हो। परन्तु शिकायत गांव आने के छः महीनों के अन्दर करनी चाहिये। इस शिकायत का फैसला बिहार में ही होगा इसलिये तुम्हें हरियाणा जाकर केस लड़ने की परेशानी नहीं होगी। मतलब यह है कि तुम्हें निडर होकर शिकायत करनी चाहिये क्योकि अपने गांव में किसी से डरने की कोई बात नहीं है।

यदि आपका मालिक या ठेकेदार इस कानून का पालन नही करता तो आप इन लोगा के पास शिकायत दर्ज करवा सकते है :

- **मालिक व ठेकेदार के रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस हेतु - उपश्रम कमिशनर (केन्द्रीय)**
- **मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओ हेतु-आपके राज्य क क्षेत्रीय श्रम कमिश्नर (केन्द्रीय)**

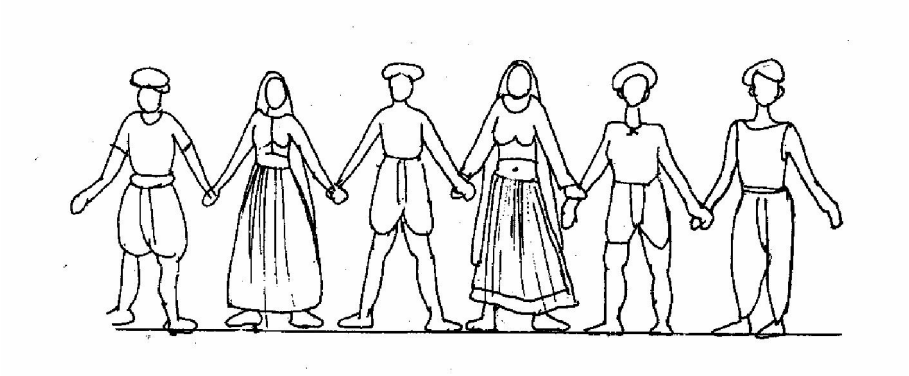

ठेकेदार जी आते हैं
दूर देश ले जाते हैं
न कोई ठौर, न ठिकाना
बस एक वक्त की रोटी खाना
न सर पे है छत हमारे,
न बदन पर कपड़ा
खून पसीना एक किया
फिर हमारी या विपदा।
दूर देश से आने वालों,
सुनो, सुनो मजदूर सभी
सरकार ने जो कानून बनाया
उसकी बात सुनी क्या कभी?
क्या है यह कानून?
ठेकेदार को देना है वेतन
और मालिक पर हैं ये बंधनः
रहने को घर,
बीमारी में डॉक्टर का भी खर्चा,
खाने-पीने की जगह,
छोटे बच्चों के लिये बालघर,
आने-जाने का खर्चा
न्यूनतम वेतन,
दुर्घटना मुआवजा .....
हाँ, ये सब हैं तुम्हारे हक,
इसमें रहे न कोई शक।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून 2005

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून 2005

रेहान अपनी पत्नी लड़को और बूढ़ी माँ के साथ गाँव में रहता है। उसके पास आधा एकड़ के करीब ज़मीन है। पिछले दो साल से बारिश ने होने के कारण, उसकी फसलें बर्बाद होती रही। उसके पास अपना और परिवार का पेट पालने के लिए भी अनाज और पैसा नहीं रहा है। उसे और उसकी पत्नी को यही चिंता सता रही है, क्योंकि गांव में ओर कोई काम भी नहीं है और शहर में उनकी पहचान वाला भी कोई नहीं है। फिर गांव में ओर कोई काम भी नहीं है और शहर में उनकी पहचान वाला भी कोई नहीं है। फिर गांव वालों का भी कहना है कि शहर में भी काम मिलना आसान नहीं है। ऐसे में उन्हें बच्चों और बूढ़ी माँ की चिंता सता रही है।

हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग है जो काम कर सकते है और काम करना चाहते है, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं है। उनके पास रोज़ी रोटी कमाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में उनके सामने भूखों मरने या भीख माँगने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सभी काम और शिक्षा मिले, और बीमारी, बुढ़ापे, अपंगता और बेरोजगारी की हालत में सुरक्षा मिले। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून-2005' बनाया गया है। यह कानून ग्रामीण इलाकों के लिए बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों में वह सभी इलाके आते है जो किसी भी नगर निगम या छावनी बोर्ड के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

इस कानून की मुख्य विशेषताएँ हैः

- एक परिवार को, एक वित्तीय साल में, कम से कम सौ दिन का काम पाने का अधिकार।
- काम न दिए जाने पर रोज़ के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।

रोजगार किसे मिल सकता है?

- परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए राजी हो, उसे काम मिल सकता है।
- काम पर लगाए गए लोगों में से एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिएं।

एक परिवार में वे सभी लोग आते है जो जन्म, विवाह या गोद लेने से एक-दूसरे के संबंधी है, एक साथ रहते और खाते-पीते है और जिनका नाम एक ही राशन कार्ड पर है।

आदिल अपनी पत्नी, दो लड़कों राशिद और रहीम व बेटी रजिया के साथ रहता है। उसके बड़े लड़के राशिद की दो महीने हुए सईदा से शादी हुए है। यह एक परिवार है, जिसका मुखिया आदिल है। यह सभी एक साथ रहते है, रिश्तेदार है। इस परिवार के सभी सदस्य मिल कर एक साल में सौ दिन का रोजगार पाने के हकदार है।

हेमे झारखंड के दुमका जिले के एक गांव में अपनी देा लड़कियो, लड़के और ननद के साथ रहती है। उसके पति की पांच साल हुए मौत हो चुकी है। यह भी एक परिवार है जिसकी मुखिया हेमे है।

एक परिवार को सौ दिन के काम का क्या मायने है?

परिवार के सभी सदस्य मिल कर कम से कम सौ दिन का काम पाने का हक रखते है। यानी उनमें से किसी एक को सौ दिन का काम या दो और दो से ज्यादा बालिग सदस्यों को मिल कर सौ दिन का काम पाने का हक है।

आदिल के परिवार मेंः

- आदिल सौ दिन के लिए रोज़गार पा सकता है; या
- आदिल की बीवी 60 दिन और बेटा राशिद 40 दिन के काम पा सकते है; या
- राशिद और उसकी बीवी सईदा को 50-50 दिन के लिए काम मिल सकता है।

हेमे के परिवार मेंः

- हेमे को 100 दिन का काम; या
- उसकी ननद को 100 दिन का काम; या
- उसकी बेटी को 100 दिन का काम; या

- हेमे को 45 दिन और उसकी ननद को 55 दिन का काम मिल सकता है।

काम पाने के लिए क्या करना होगा?

काम पाने के लिए, पहले तो परिवार को अपना रोजगार कार्ड बनवाना होगा और फिर जब काम चाहिए हो तो परिवार के सदस्य को काम के लिए दरखास्त (अर्जी) करनी होगी।

परिवार का रोजगार कार्ड बनवाने के लिए

परिवार के मुखिया को अपने इलाके की ग्राम पंचायत में अर्जी देनी होगी जिसमें परिवार के सभी बालिग सदस्यों के नाम और उम्र के साथ अपना पता दिया होना चाहिए।

- अर्जी मिलने के बाद पंचायत उसमें लिखे ब्यौरे की जाँच करके परिवार का नाम रजिस्टर कर उसे रोजगार कार्ड जारी करेगी। रोजगार कार्ड परिवार की अर्जी करने के 15 दिन के अंदर जारी हो जाना चाहिए।

- रोजगार कार्ड में परिवार के सभी बालिग सदस्यों के नाम और उम्र के साथ उनका फोटो भी लगा होना चाहिए।

- यह कार्ड कम से कम पांच साल के लिए जारी किए जाएँगे। इनका समय-समय पर नवीनीकरण किया जा सकता है।

यह कार्ड बनाने के लिए पंचायत या सरपंच कोई पैसा नहीं ले सकते।

काम लेने के लिए अर्जी

- रोजगार कार्ड बन जाने के बाद काम पाने के लिए लिख कर या जुबानी अर्जी करनी होगी।

- परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम कार्ड में हो काम के लिए अर्जी कर सकता है।

- यह अर्जी ग्रांम पंचायत या योजना अधिकारी को करनी होगी। योजना अधिकारी ब्लॉक स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के चलाने, उस पर

नजर रखने और उसके लिए दिए जाने वाल पैसे का हिसाब रखने के लिए इस कानून के द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

- ग्राम पंचायत या योजना अधिकारी अर्जी लेकर उसकी तारीख वाली रसीद देंगे। किसी को भी अर्जी की तारिख पड़ी रसीद लेना नहीं भूलना चाहिए।

- जब भी किसी आदमी या औरत को काम चाहिए हो तो उसे काम के लिए नई अर्जी देनी होगी।

- अर्जी कम से कम 14 दिन लगातार काम के लिए होनी चाहिए।

काम कब दिया जाएगा?

- काम अर्जी देने के 15 दिन के अंदर ही दिया जाना चाहिए।

  सीता ने 10 जून को ग्रांम पंचायत में अर्जी देकर काम माँगा। उसे अर्जी करने के 15 दिनों में काम मिल जाना चाहिए। उसे 25 जून से पहले ही काम देना होगा।

- यदि पहले से ही निश्चित समय पर काम माँगा गया है तो उसी समय पर काम देना होगा।

रामेश्वर और कलावती को अपने खेतों में मार्च, अप्रैल में बहुत काम रहता है, लेकिन वह जानते है कि जून में न तो उन्हें अपने खेतों में कोई काम होगा और न ही गाँव में कोई काम मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत में अर्जी दी कि उन्हें 1 जून से ही काम दिया जाए। रामेश्वर और कलावती को 1 जून ही से काम दिया जाना चाहिए।

काम के लिए अर्जी देने पर, यह कैसे पता चलेगा कि काम कब और कहाँ करना है?

- रोजगार कार्ड में दिए गए पते पर अर्जी करने वाले को एक खत (पत्र) डाला जाएगा कि उसे कब और कहाँ पर काम के लिए पहुँचना है। इसके अलावा जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के कार्यालय (दफ्तर) पर भी काम के लिए कब और कहां पहुंचना है इसकी सूचना नोटिस लगाई जाएगी।

- काम करने की जगह, काम करने वालों के रहने की जगह से 5 किलोमीटर से दूर और गाँव के इलाके से बाहर नहीं होनी चाहिए। यदि यह दूरी 5 कि.मी. से अधिक हो तो काम करने वालों को उनकी मजदूरी से 10 प्रतिशत ज्यादा मजदूरी देनी होगीं। किसी भी सूरत में काम ब्लॉक से बाहर नहीं दिया जा सकता।

मजदूरी

- हर एक को उसके काम के हिसाब से ही मजदूरी देनी होगी।
- मजदूरी सीधे काम करने वालों को ही दी जाएगी।
- मजदूरी राज्य सरकारों द्वारा खेतिहार मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर या केंन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर से ही देनी होगी।
- मजदूरी की दर निश्चित काम की मात्रा पर भी तय की जा सकती है। यह दर तय करते हुए याद रखना होगा कि काम की मात्रा किसी भी आम मजदूर द्वारा सात घंटे काम करने के बराबर हो।

जावेद को हरियाणा के एक गांव में नहर खोदने के काम पर लगाया गया है। जहां 5 x 5 फुट मिटटी निकालने की दर 60 रूपये तय की गई है। लेकिन जावेद और उसके साथ काम करने वालों का कहना है कि जमीन सख्त होने के कारण सात घंटे काम करने पर भी इतनी मिटटी नहीं निकाली जा सकती। इसलिए मजदूरी की यह दर ठीक नहीं है।

- एक जैसे काम के लिए औरतों और आदमियों को एक सी मजदूरी मिलेगी।
- मजदूरी नगद या नगद और सामान की सूरत में दी जा सकती है। जब भी मजदूरी नगद और सामान की सूरत में दी जाए, तो उसका एक चौथाई नगद में होना जरूरी है। मजदूरी नगदी या नगद और सामान की सूरत में दी जाएगी यह काम की योजना में काम देते हुए बताना जरूरी है।
- मजदूरी हर हफ्ते के हिसाब से दी जानी चाहिए और किसी भी सूरत में काम किए जाने के 15 दिन में दे दी जानी चाहिए।

- मजदूरी का भुगतान इलाके के किसी निष्पक्ष आदमी के सामने, पहले से तय दिन और समय पर किया जाना चाहिए।

- हर हफ्ते के काम में एक दिन की छुटटी देनी होगी।

जावेद खान और उसके बेटे अरिफ ने 15 दिन काम करने की अर्जी दी। एक हफ्ते में वा छः रोज की काम करेंगे। और एक दिन की छट्टी रहेगी। इसलिए उनको 15 दिन के काम में 2 रोज की छुट्टी मिलेगी।

काम करने की जगह पर दी जाने वाली सुविधाएँः

काम करने की जगह पर, मजदूरी कर रहे लोगों को नीचे दी जा रही सुविधाएँ देनी होगी;

- पीने के लिए साफ पानी।

- बच्चों के लिए छायादार जगह।

- आराम का समय।

- छोटी-मोटी चोट के लिए इलाज का इंतजाम

- अगर काम पर आई औरतों के साथ 6 साल से छोटी उम्र के 5 से ज्यादा बच्चे हों, तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला को रखना होगा।

काम के दौरान चोट या दुर्घटना होने पर मुआवजा

- काम के दौरान चोट लगने पर इलाज मुफ्त कराया जाएगा।

- अगर घायल को अस्पताल ले जाना पड़े तो उसके अस्पताल में रहने, दवा और इलाज के खर्च के साथ ही उसी की मजदूरी का कम से कम आधा उसे दैनिक भते के रूप में देना होगा।

- यदि काम करते हुए किसी की मौत हो जाए या वह अंपग हो जाए तो उसके कानूनी वारिस को या उसे 25,000/- रूपये या केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित मुआवजा दिया जाएगा।

- अगर काम पर साथ आए बच्चों में किसी को चोट लग जाए तो उसका भी इलाज मुफ्त कराया जाएगा। अगर बच्चे की मौत हो जाए या वह अपंग हो जाए तो पर कामगार, राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा।

जब भी कोई काम के लिए अर्जी देता है:

- तो उसे काम दिया जाएगा, या
- बरोजगारी भता दिया जाएगा।

अगर उस परिवार को एक वित्तीय साल मे 100 दिन से अधिक के लिए रोज़गार दिया जा चुका हो तो काम या बेरोज़गारी भत्ता नहीं देना होगा।

कोई काम नहीं चल रहा है, या मजदूरी की जरूरत नहीं है या कोई नया काम शुरू करने के लिए लोग कम है आदि कारणों से किसी को काम या बेरोज़गार भत्ते से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यदि काम न दिया जाए तो क्या होगा?

- अगर अर्जी देने पर भी 15 दिन के अन्दर काम न दिया जाए या
- पहले से अर्जी दिए रहने पर भी उन्हें समय पर काम न दिया जा सके,

तो वह रोजाना के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे।

हरि और सीता ने 20 जून को एक महीने के लिए काम की अर्जी दी। अब अगर उन्हें 5 जुलाई तक काम नहीं दिया जाता, तो हरि और सीता बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे।

राम पुकार ने 1 जून को 20 जुलाई से दो महीने के लिए काम की अर्जी की है। अब अगर उसे 20 जुलाई से काम नहीं दिया जाता, तो वह भी बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाएगा और इसका भुगतान कौन करेगा?

- बेरोजगारी भत्ता लागू होने के 15 दिन के अन्दर देना होगा।

- इसका भगुतान योजना अधिकारी या ग्रांम पचांयत या फिर राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किया गया कोई अधिकारी करेगा।

- इसका भुगतान भी सीधे काम मांगने वाले को ही किया जाएगा।

- अगर योजना अधिकारी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकेगा या फिर उसके भुगतान में देरी होगी, तो वह इस जानकारी को ग्रांम पंचायत के दफ्तर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस के रूप में लगवाएगा।

बेरोजगारी भत्ते की दर

बेरोजगारी भत्ते की दर राज्य सरकारों द्वारा तय की जाएगी, लेकिन व किसी भी हालत में नीचे दी गई शर्तो से कम नहीं होगी :

- पहले तीस दिन के काम की दर से एक चौथाई; या

- वित्तीय साल के बाकी के काम के दिनों की दर की आधी रकम।

('वित्तीय साल' 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है।)

बेरोजगारी भत्ता कब तक दिया जाएगा?

बेरोजगारी भत्ता देना बंद हो जाएगा, जब :

- काम के लिए अर्जी देने वाले को ग्राम पंचायत या योजना अधिकारी काम पर आने के लिए कहे या उसी परिवार के किसी दूसरे बालिग सदस्य को काम पर भेजने के लिए कहे, या

- जितने समय के लिए काम माँगा गया था वह खत्म हो जाए और परिवार का कोई भी सदस्य काम पर न आया हो, या

- परिवार को वित्तीय साल में 100 दिन का काम दिया जा चुका हो, या

- परिवार को मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता मिला कर वित्तीय साल में 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका हो।

काम क्या होगा

- राज्य सरकार द्वारा रोज़गार-योजनाओं की घोषणा की जाए। योजना के मुख्य बिन्दुओं को कम से कम दो अखबारों में छपवाया जाएगा, जिनमें से एक उस क्षेत्र की भाषा की अखबार होना चाहिए, जहाँ वह योजना चलाई जानी हो।

- यह रोजगार-योजना निम्न में से किसी भी प्रकार के काम के लिए हो सकती है :

  - ❑ जल संरक्षण या जल संचय की योजना
  - ❑ सूखा बचाव कार्य जैसे पेड़ लगाना या वनों का विकास करना।
  - ❑ सिंचाई के लिए नहरें बनाना।
  - ❑ अनुसूचित जातियों/वन जातियों या भूमि सुधार से लाभ पाने वालों के लिए सिंचाई की व्यवस्था।
  - ❑ झीलों और तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम।
  - ❑ भूमि सुधार का काम।
  - ❑ गाँवों को सड़क से जोड़ने का काम।
  - ❑ ऐसे ही लंबे समय तक रोजगार पैदा करने वाल काम।

- ग्राम पंचायत, अपने क्षेत्र में किए जा सकने वाले कामों की योजना बनाएगी। उसमें ग्राम सभा और वार्ड कमेटी की भी राय ली जाएगी।

- योजना अधिकारी इन योजनाओं की जाँच कर स्वीकार करेगा। इस प्रकार स्वीकार की गई ब्लॉक की सभी योजनाएँ जिला पंचायत में भेजी जाएगी। जिले की सभी योजनाओं को इकट्ठा कर जिला पंचायत, इसके लिए बजट स्वीकार करेगी।

- इन कामों को ठेके पर नहीं कराया जाएगा।

- कोई नई योजना तब ही शुरू की जाएगी, जबकि उसके लिए कम से कम 50 लोग मौजूद हो जिन्हें किसी चालू काम में न लगाया जा सकता हो।

- जहाँ तक मुमकिन हो काम बिना मशीनों के शारीरिक श्रम से ही किया जाएगा।

- ग्राम ब्लॉक या जिला पंचाचत को ही यह सुनिश्चित करना होगा, कि काम का भुगतान सही-सही हुआ है।

बेरोजगारी भत्ता पाने का हक किन हालात में नहीं होगा?

निम्न हालातों में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगाः

- वह और उसका परिवार दिए गए काम को करने से इंकार करे।

- वह काम पर बुलाए जाने पर भी 15 दिन में काम पर हाजिर न हो।

- वह काम से एक हफ्तें तक गैर-हाजिर रहा हो या उसने बिना बताए और इजाजत लिए बिना महीने में एक हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी की हो।

लेकिन वह दोबारा काम के लिए अर्जी कर सकता है।

निरीक्षण और शिकायतें

बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में कई परिवारों ने रोजगार कार्ड के लिए अर्जी दी। लेकिन तीन महीने बाद भी केवल चार परिवारों को ही रोजगार कार्ड मिल पाया। उनका कहना था कि उन्हें कार्ड के लिए दो-दौ सौ रूप्ये देने पड़े।

लोगों को अगर रोजगार कार्ड, काम या मजदूरी की भुगतान न मिलें, तो वह क्या करें?

- काम, मजदूरी, बेरोजगारी भत्ते आदि से जुडी शिकायतें, योजना अधिकारी के पास की जा सकती है। योजना अधिकारी उन्हें शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा। शिकायत पर 7 दिनों के अंदर कार्यवाही की जाएगी या शिकायत को संबंध अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

- जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर इन कामों की देख-रेख करते हैं। यह जिला कलेक्टर या जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी हो सकते है। इनकी जिम्मेदारी है कि वह जिला स्तर पर चल रही ऐसी

सभी योजनाओं की देख रेख और जांच परख करें। उनके पास भी शिकायत की जा सकती है।

- योजना अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को उसके वहां चल रहे कामों का मास्टर रोल दिया जाएगा। मास्टर रोल यानि मजदूरी की सूची।

- मास्टर रोल को पंचायत के दफतर में रखा जाना चाहिए ताकि कोई भी इसकी जांच कर सके कि किसी काम के लिए किन लोगों को रखा गया और उन्हें कितनी मजदूरी दी गई।

- कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के दफतर में रखा रोजगार योजना का रजिस्टर देख सकता है। इसमें योजना से जुडी सभी जानकारी दर्ज रहनी चाहिए, जैसे कि रोजगार-कार्ड, पास-बुक, परिवारों के मुखिया का नाम उम्र और पता और उसके परिवार के सभी बालिग सदस्यों की गिनती आदि।

- ग्राम सभा को भी ग्राम पंचायत के सभी काम काज की जांच करते रहना चाहिए। सभी मास्टर रोलों, बिलों, बीजकों व पैमाइश के दस्तावेजों को पंचायत द्वारा ग्राम सभी को सार्वजनिक जांच के लिए सौंप देना चाहिए।

- सार्वजनिक जांच, यानि कागजी कार्यवही और असल घटनाओं की लोगों द्वारा खुद तुलना करके योजना में भ्रष्टाचार रोकना चाहिए।